FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020- 413

Dated: 30-06-2-94

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-01-32 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, (R & B) M.C. Shimla for construction of Car Parking Opposite HPSEB Sub-Station Kalibari Shimla ward No. 2 (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Kalibari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-01-32 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.

The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.

(Aditya Negi)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS. Deputy Commissioner, Shimla on 21-06-2021 at 11:30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha/Ward No. 2 Ruldu Bhatta claiming rights in village forest area(s) 00-01-32 Hectares under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Urban)) discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No. Name of applicant Name of Forest Detail of Forest Right
----Nil---

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No. Name of applicant Name of Forest Detail of Forest Right

As informed by SDO(Civil), Shimla (Urban) no application was received from Gram Sabha /Ward No. 2 Ruldu Bhatta claiming right in **00-01-32 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Level Forest Rights Committee, Shimla, .

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परगंत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन अधिकार समिति ग्राम सभा किल्लु प्रतिलिपी प्रस्ताव

\cdot	
प्रस्ताव संख्या	दिनाक
वन अधिकारी समिति ग्राम समा केल्यू गर्रे की बैठक आज दिनांक को बंज स्थान के स्थान के लिए गर्रे जिसमें की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत जंगत वन के सिन् के लिए के के हैं है केटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। व होवे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन के साथ प्रस्तुत दरतावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन उ हारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:—	जनजाति और अन्य जनजाति और अन्य क्रिक्टी न अधिकारों के लिए अधिकारों के प्रस्तादों
क0संट *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिव Clo Car Raslung pp. HPSEB Sub-star Lim keli Basi	ज्ञार का व्यौरा
तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों के पारित करने हेतू र रिफारिश करती है।	प्राम सभा से इसकी
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :	
कार्सा भी जो अपना द्वांते वासी का नाम शासि भी जो अपना द्वांते जा का पारित निरस्त करने की सिफारिश क	•
যা	
श्री भिला जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त गर्ही हुआ। स्थान कि भिला जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त गर्ही हुआ। स्थान कि भिला जंगल / उन्हान हस्त वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिव आईम कि भी हम वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिव आईम किया है।	र्) भूजी समिति
ं प्रोजीक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिक्यम, 1980 के अन्तर्गत	का मूं के दक्

की अनुमति दो जानी है।

ा जनजाति और अन्य परम्परगत् वन निवासी (दन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ना ग्राम सना.... 2000 मु । प्रतिलिपी प्रस्ताव

अस्ताय संख्या 9	
2500 707	दिनाक
की बैठक आज दिनांक 27-16 वर्ष को स्थान रिक्रिक रिक्रिक रिक्रिक की बैठक आज दिनांक 27-16 वर्ष को स्थान रिक्रिक रिक्निक रिक्रिक रिक्रिक रिक्रिक रिक्निक रिक्रिक रिक्निक र	जार अन्य परम्परागत िली जंगल / वन के निर्माण के ं के लिए दावे डेतू प्राम आवदेनों प्रर चर्चा की
Car Pasting Opposite 4PSEB Sub-station Kali basi W. Ms. 2_	
तदानुसार यह ग्राम सभा इस वावे/ इन दावों का पारित करते हुए इसे खण्ड	स्तर की समिति को

प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दादा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

कार्म भी व्यार्थियात्र गांव वासी का नाम वासी देश नहीं है।

ादानुसार ग्राम संखा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

पुसा ग्राम समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार <u>जान</u> न कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष / पार्षद वार्ड निं

* ग्रांगदासी / ग्राम वासीयों के नाग जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दादे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैवर / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संस्त्राण) अधिनियम, 1980 **के अन्तर्गत** यन मूर्टि के संपदीन की अनुभति दी जानी है।

विकास खण		त्राहरू जी	(150HO)		
प्रतिलिपी प्रस्ताव					
	· .		दिनांक		
णपूर्ति			प्रस्ताव संख्या9		
•		•			
्रिष्ट अस्त	19312 8	गल। विभाग/संस्था को	जगल/ वन क्षे जगल/ वन क्षे हैक्टेयर वन भूमि के उपय		
के वि		क्रम्य विन्र	जगल/ वन क्षे		
प्रस्तावित	0.	013163	हैक्टेयर दन भूमि के उपय		
ो मंजूरी के लिए	र सहमति प्रदान	करने हेतू।			
	ग्राम [ं] समा	darg 2221	की बैठक आज दिनांक 12-27 की गई , जिसमें ः/ हे निर्माण हेतू प्राथान विकास		
27-1-19	को	बजे, स्थान किल्यु र	122) की गई , जिसमें 📆		
		ALLE TITO	from \rightarrow (m) I of I down!		
7-12 [8]	ावभाग / सस्था व	M	ה וחאוט פּתַ		
जंगल /	वन क्षेत्र में प्रर	तावित <u> ७ : ०। ३%</u> हेक्टर	र वन भूमि के उपयोग की मंजूरी		
जंगल /	विभाग / संस्था व वन क्षेत्र में प्रर रान करने पर चर्च	तावित <u> ७ : ०। ३%</u> हेक्टर	ग्रनमाण ह तू		
जंगल /	वन क्षेत्र में प्रर	तावित <u> ७ : ०। ३%</u> हेक्टर	ग्रानमाण हतू <u></u>		
जंगल / लिए सहस्रति प्रव	वन क्षेत्र में प्रर रान करने पर चर्च	स्तावित <u> ७: ०१३%</u> हेक्टर िकी गई है।	ार वन भूमि के उपयोग की मजूरी		
जंगल / लिए सहनति प्रव स्	वन क्षेत्र में प्रर रान करने पर चर्च ग्भी ग्रामवासियों ने	स्तावित <u>ै : 013%</u> हेक्टेर िकी गई है। ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र	ार बन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को प		
जंगल / लिए सहस्रति प्रव स् तरह समझने के	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च ग्मी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति	स्तावित <u>ै : 013%</u> हेक्टेर िकी गई है। ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र	ार बन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को		
जंगल / लिए सहस्ति प्रव स्	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च ग्मी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति	स्तावित <u>ै : 013%</u> हेक्टेर िकी गई है। ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र	ार बन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को प		
जंगल / लिए सहस्रति प्रव स् तरह समझने के	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च ग्मी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति	स्तावित <u>ै : 013%</u> हेक्टेर िकी गई है। ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र	ार बन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को		
ेजंगल/ लिए सहनति प्रव ए स् तरह समझने के दिए जाने पर स	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च तभी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति इसत है।	स्तावित <u>ं 013%</u> हेक्टर िकी गई है। से संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम	ार वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उददेश्यों को ह समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भ		
ेजंगल/ लिए सहनति प्रव स् तरह समझने के दिए जाने पर स	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति इस बैठक में अनु	स्तावित <u>क ०१३%</u> हेक्टर िकी गई है। से संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित र से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम	ार वन भूमि के जपयोग की मजूरी कार्य हेतू जपयोग के जददेश्यों को ह समा जपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन क		
लए सहनति प्रव तरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की प्र मान्यता अधिनिय	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च तभी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति इसत है। इस बैठक में अनु रम, 2006 के अन	स्तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को स समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भू रागत वन निवासी (वन अधिकारों : नेपटारें पर भी चर्चा की गई तथा र		
लए सहनति प्रव तरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की स मान्यता अधिनिय सम्मति से यह	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति इस बैठक में अनु रम, 2006 के अन पारित किया गय	स्तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को ए समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भू नेपटारें पर भी चर्चा की गई तथा र तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपट		
ंजंगल/ लिए सहनति प्रव स्व तरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की । मान्यता अधिनिय सम्मति से यह सम्बन्धित सारी	वन क्षेत्र में प्रस् रान करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति हमत है। इस बैठक में अनु ग्रम, 2006 के अन पारित किया गय प्रकिया पूरी की प्र	स्तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को ए समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भू रागत वन निवासी (वन अधिकारों न रागत वन अधिकारों के दावों के निपट वेत		
जंगल/ लिए सहनति प्रव स्वरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की । मान्यता अधिनिय सम्मति से यह सम्बन्धित सारी	वन क्षेत्र में प्रस्तान करने पर चर्च तम करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति हमत है। इस बैठक में अनु ग्रम, 2006 के अन पारित किया गय प्रक्रिया पूरी की उ	स्तावित	र वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को ए समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भू रागत वन निवासी (वन अधिकारों व नेपटार पर भी चर्चा की गई तथा र		
जगल/ लिए सहनति प्रव प्र तरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की ! मान्यता अधिनिय सम्मति से यह सम्बन्धित सारी भूमि को	वन क्षेत्र में प्रस्तान करने पर चर्च तम करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति हमत है। इस बैठक में अनु ग्रम, 2006 के अन पारित किया गय प्रकिया पूरी की प्र	तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को स् समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन के नेपटारें पर भी चर्चा की गई तथा के तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपर वित		
जगल/ लिए सहनति प्रव प्र तरह समझने के दिए जाने पर स ग्राम समा की ! मान्यता अधिनिय सम्मति से यह सम्बन्धित सारी भूमि को	वन क्षेत्र में प्रस्तान करने पर चर्च तम करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति हमत है। इस बैठक में अनु ग्रम, 2006 के अन पारित किया गय प्रकिया पूरी की प्र	तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को स् समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन अधिकारों नेपटारें पर भी चर्चा की गई तथा स् तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपर		
जगल/ लिए सहनति प्रव प्र तरह समझने के विए जाने पर स गान्यता अधिनिय सम्मति से यह सम्बन्धित सारी भूमि को	वन क्षेत्र में प्रस्तान करने पर चर्च तम करने पर चर्च तमी ग्रामवासियों ने बाद सर्व सम्मति हमत है। इस बैठक में अनु ग्रम, 2006 के अन पारित किया गय प्रकिया पूरी की प्र	स्तावित	गर वन भूमि के उपयोग की मजूरी कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन नेपटार पर भी चर्चा की गई तथा तर्गत वन अधिकारों के दावों के निप वित		

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), SHIMLA (URBAN), DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constitute under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Shimla (Urban) Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Manjeet Sharma, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Shimla (Urban), District Shimla (H.P.) on 10.03.2021 at 3:00 P.M. at Shimla (U), in which the application of the applicant of Municipal Corporation. Shimla for diversion of forest land, Khasra No. 332/1, total area measuring 0.0132 hect., situated at Mohal Kalibari, of land in Forest Division Shimla (U) for construction of Car Parking opposite HPSEB Substation Kalibari Shimmla ward No..2, Tehsil Shimla (U), District Shimla (H.P.) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Ruldu Bhatta was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place:- Shimla

Dated: 16.03.2021

Attoyted Copy

Additional District Mes Shimla, Distt. Shimla-17100 SDO(C)-Cum/Chairman

Sub-Divisional Level Committee

आज दिलांक 10.03.2021 को समय 3.00 बजे वन अधिकार कमेटी उप मण्डल स्लगीय क्षेट्रक, श्री मंजीत शर्मा (हि॰ प्र॰ से॰) अध्यक्ष एवं उप संबनाधिकारी (ता॰) शिमला शहरी की अध्यक्षतः में बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में निम्नलिखित - सदस्यां न भाग लिया

1.	भी सुमेश शर्मा	तहसीलदार शिमला (श०)	महस्य सचित्र
2.	थी सुनील धर	पार्षद, नगर निगम शिमला	पडम्य
3.	श्री पूर्ण मल	पार्षद, नगर निगम शिमला	पहाच
4.	भीमती रीता ठाकुर	पार्षद, नगर निगम शिमला	मदस्य अनुपरितय

श्री मनी राम ठाकुर 5. रेंज वन अधिकारी सदस्य - प्रतिनिधि वन संडलाधिकारी - 🛷

श्री अशोक कमार 6. भा० खा० नि० मेनेजर (जनरल)

श्री संजय शर्मा अधिशाषी अभियंता हि० प्र० वि०

श्री सुरिंदर सिंह राज्टा नक्शानवीस, नगर निगम शिमला 9. ः श्री विनोद कुमार शर्मा नक्शानवीस, नगर निगम शिमला

बैठक में सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई।

बैठक में श्री सरिंदर सिंह - राज्टा नक्शानबीस, नगर निगम शिमला की और से हाजिर हुआ जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित निर्माण कार्य सभा पटल पर रखें ।

- 1. C/O Car Parking near kanlog bye pass road in ward No. 34, Khasra No. 695 area measuring 0.0252 hect. situated at Mohal kanlog, Tehsil and District Shimla.
- 2, C/O Car Parking opposite HPSEB Substation Kalibari Shimla Ward No. 2, Khasra No. 332/1, area measuring 0.0132 hect. situated at Mohal Kalibadi, Tehsil and District Shimla.
- 3. C/O Car parking opposite Roop Hardware Lakkar Bazar in ward No. 2, khasra No. 721, area measuring 0.1510 hect. situated at Mohal Tarahal, Tehsil and District Shimla
- 4. C/O Ambulance and fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate, Lower Jakhu Shimla in ward No. 16, Khasra No. 845/1, area measuring 0.0112 hect., situated at Mohal U.S. Club, Tehsil and District Shimla.
- 5. C/O Ambulance road from Hanuman Mandir road to Sharma Niwas in ward No 33 Khalini, Khasra No. 1066/2/1, area measuring 0.0575 hect., situated at Mohal Khalini, Tehsil and District Shimla.

श्री संजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता हि०प्र० विश्वविद्यालय बैठक में शिमला की और से हाजिर हुए जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्तावित कार्य सभा पटल पर रखे ।

1. Regarding Construction of proposed multi-storeyed parking complex between Tennis Court and HRDC building in HPU Shimla, Khasra No. 548/1, area measuring 0.1050. hetc., situated at Mohal Summer Hill, Tehsil Shimla (U) District Shimla

बैठक में भी अशोक कुमार, भा० खा० नि० मेनेजर (जनरल) शिमला की और से हाजिर हुए जिन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताबित कार्य सभा पटल पर रखे।

 Construction of Food Corporation of India, Regional Office building at Tutikandi Shimla, Khasra No. 821/1, area measuring 0.01275 hect., situated at Mohal Panjadi, Tehsil Shimla (U) District Shimla (H.P.).

उपरोक्त सभी प्रकरणों में उप मण्डल स्तर की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों ने चर्चा उपरान्त सर्ब सम्मित से , सहमित जाहिर की है कि स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए उप मण्डल स्तर पर अनापित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया व प्रस्ताव पारित हुआ कि उप मण्डल स्तर पर अनापित प्रमाण पत्र जारी कर जिला स्तरीय कमेटी को प्रेषित किया जाए।

सदस्य सचिव् तहसीलदार शिमला (श०)

अध्यक्ष एक उप-मंडलाधिकारी (ना

शिमला (श्रं०) जिला शिमला

Attested Copy

Additional District Name 171001 Shimla, Distr. Shimla-171001